न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 33 / 2024

1 तबसुम पत्नी जब्बार
2 साजिद पत्नी इकबाल
समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बदरूदीन पुत्र इस्माईल
2 मजीद पुत्र हाजी ईस्माईल
3 अयूब पुत्र हाजी ईस्माईल
4 युसुफ पुत्र हाजी ईमाईल मृत
4/1 नजमूनिशा पत्नी युसुफ
4/2 समीना बानों पुत्री युसुफ
4/3 मोह. आरीफ पुत्र युसुफ
4/4 मो. हनीफ पुत्र युसुफ
5 रमज्यान पुत्र हाजी ईस्माईल
6 मो. अली पुत्र हाजी ईस्माईल
7 आमीना पुत्री हाजी ईस्माईल
8 खातुन पुत्री हाजी ईस्माईल
9 दौलत पुत्री हाजी ईस्माईल
10 मो. हुसैन पुत्र मकबूल
11 मो. वाहिद पुत्र मकबूल
12 मो. यासमीन पुत्री मकबूल
13 मो. रजिया पुत्री मकबूल
14 रूकिया पुत्री मकबूल
15 नाजमीन पुत्री मकबूल
16 हीना पुत्री मकबूल
17 बिस्मिला पत्नी मकबूल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

18 मो. इरफान पुत्र मो. यासीन
19 मो. इलियास पुत्र मो. यासीन
20 मो. गुलफाम पुत्र मो. यासीन
21 मो. मुस्तकीन पुत्र मो. यासीन
22 मो. वासीद पुत्र मो. यासीन
23 मैरूनिशा पुत्री यासीन
24 खैरूनिशा पुत्री यासीन
25 अफसाना पुत्री यासीन
26 समीम पुत्री यासीन
27 जुलेखां पत्नी यासीन
28 हबीब पुत्र नूर मोहम्मद
29 मुन्शी पुत्र नूर मोहम्मद
30 सलीम पुत्र नूर मोहम्मद
31 गफूर पुत्र नूर मोहम्मद
32 सफी पुत्र नूर मोहम्मद
33 रफीक पुत्र नूरमोहम्मद
34 जरीना पुत्री नूर मोहम्मद
35 हाजरा पुत्री नूर मोहम्मद
36 सतार पुत्र फतेह मोहम्मद
37 सलीम पुत्र फतेह मोहम्मद
38 गुलाब नबी पुत्र फतेह मोहम्मद
39 इसाक पुत्र फतेह मोहम्मद
40 जावेद पुत्र फतेह मोहम्मद
41 आमीना पत्नी फतेह मोहम्मद
42 नजमा पुत्री फतेह मोहम्मद
43 मेरूनिशा पुत्री फतेह मोहम्मद
44 रूकिया बानो पुत्री फतेह मोहम्मद
45 रहमत बानो पुत्री फतेह मोहम्मद
46 रहीसा पुत्री फतेह मोहम्मद
47 अब्दुल जबार पुत्र फीदा हुसैन मृत
47/1 अमीना बानो पत्नी अब्दुल जबार
47/2 अब्बास पत्र अब्दुल जबार
47/3 जुबेर पुत्र अब्दुल जबार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

47/4 गुलफान पुत्र अब्दुल जबार
47/5 सद्दाम पुत्र अब्दुल जब्बार
47/6 गफार पुत्र अब्दुल जब्बार
47/7 इस्लामुदीन पुत्र अब्दुल जब्बार
47/8 समीना बानो पुत्री अब्दुल जब्बार
47/9 सबनम बानो पुत्री अब्दुल जब्बार
47/10 समीरा बानो पुत्री अब्दुल जब्बार
48 मो. फारूख पुत्र फीदा हुसैन
49 नवाब पुत्र फीदा हुसैन
50 हासम पुत्र फीदा हुसैन
51 रमज्यान पुत्र फीदा हुसैन
52 कासम पुत्र फीदा हुसैन
53 मदीना पुत्री फीदा हुसैन
54 रूकसाना पुत्री फीदा हुसैन
55 मो. मुस्लिम पुत्र हाजी अब्दुल शकूर
56 मो. रफीक पुत्र हाजी जमाल
57 अब्दुल पुत्र हाजी
58 शकूर पुत्र हाजी
समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण ग्राम डुण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
59 महेश कुमार पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
60 रणधीर सिंह पुत्र रामजस जाति निवासी सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
मुकदमा नम्बर 31/2022 उनवानी बदरूदीन आदि बनाम
अयूब आदि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.04.2022
जो पिछली तारीख पेशी दिनांक 18.01.2024 तक भी बहाल रखा गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 31/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पबाना की भूमि खसरा नम्बर 334, 330, 331, 335, 336, 988/181, 989/260 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने आवेदन प्रस्तुत होते ही दिनांक 11.04.2022 से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन आदेश से जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिवचनों की ताईद में कोई ठोस एवं विधि सम्मत दस्तावेज नहीं होने के बावजूद अपीलांट रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निराधार रूप से यह आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2022 बिना अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए पारित किया गया है कि अपीलान्ट विवादित भूमियों का रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है तथा प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है, पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण भी स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जिन शर्तों के अध्यधीन पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेम राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

किया गया था रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उन शर्तों की पालना नहीं की गई। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर आज दिनांक तक गौर नहीं किया जा रहा है कि अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार को जवाब देही दिये जाने के काफी समय व्यतीत होने के बावजूद अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अनवरत रूप से जारी रखी जा रही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं किया जा रहा है तथा प्रकरण में लम्बी–लम्बी तारीख पेशियां दी जा रही है जबकि एकतरफा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा 30 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में तो ओदश दिनांक 11.04.2022 पारित कर दिया गया था जो करीब 2 साल का समय गुजर जाने के बावजूद बदस्तूर कायम है। वादग्रस्त भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमियां है जिनका विधिवत रूप से बंटवारा होने से पूर्व ही अपीलाधीन टी.आई. प्रार्थना पत्र के आवेदकगण की भूमि रास्ते के लगती हुई मानते हुए उसके उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा पारित की गई है जबकि कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि में इस तरह की निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के आवेदन धारा 212 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को सुनकर एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन आदेश से पारित की गई है। इस एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को इस अपील में अपीलांट ने चुनौती दी है। पक्षकारों के मध्य लंबित धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णित किया जाना शेष है। इससे पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 24/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)